संख्या-8/2015/264/94-स्टा०नि०-2-2016-700(162)/2014

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक, निबंधन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 11 मार्च, 2016

विषय- प्रस्तावित ई-कोर्ट फीस व्यवस्था में ई-कोर्ट फीस संग्रहण के संबंध में स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-723/शि०का०लख०/16, दिनांक 04 मार्च, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि ई-कोर्ट फीस व्यवस्था में ई-कोर्ट फीस संग्रहण के संबंध में स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० को नामित किए जाने के संबंध में है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० को ई-कोर्ट फीस संग्रहण हेतु नामित करते हुए सम्प्रति संग्रहीत धनराशि पर 0.50 प्रतिशत कमीशन अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कृपया सुसंगत नियमों के परिप्रेक्ष्य में स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० के सक्षम प्राधिकारी से अनुबन्ध करके शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-264(1)/94-स्टा०नि०-2-2016-700(162)/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय प्रबन्धक, स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० को उपर्युक्त के संबंध में तत्काल कार्यवाही किए जाने हेतु प्रेषित।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in